(110)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3240–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 102/2013–14/अपील.

---

1– मोहम्मद सिद्धीक पुत्र मोहम्मद नवाबुद्दीन
2– खेरून्निसा पुत्र मोहम्मद नवाबुद्दीन
3– महाजबीन पुत्र हजमुद्दीन
निवासीगण 21/2 रानीपुरा, इंदौर .....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1– धीरज पुत्र उत्तमराज कटारिया
निवासी 623, स्नेह नगर, इंदौर
2– इन्दर पुत्र स्व. शिवजीराम
निवासी ग्राम बिसनावदा
तहसील व जिला इंदौर
3– श्रीमती कृष्णाबाई पति बद्रीलाल
निवासी ग्राम सिमरोल
तहसील महू जिला इंदौर
4– रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल
5– खेमचन्द्र पुत्र मांगीलाल
6– भगवानसिंह पुत्र मांगीलाल
7– बलराम पुत्र मांगीलाल
निवासीगण ग्राम औरंगपुरा
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....अनावेदकगण

---

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक एवं
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री चन्दन दवे, अभिभाषक एवं
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 4 लगायत 7 द्वारा नायब तहसीलदार, देपालपुर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम सिंगावदा तहसील देपालपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 155/1 रकबा 2.108 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र से कय किये जाने के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16–6–08 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 4 लगायत 7 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, हातोद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–6–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–9–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाय गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, और उनके द्वारा जो आधार उठाये गये थे, उन पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का विकय गोविन्द सिंह द्वारा अनावेदक कमांक 3 श्रीमती कृष्णा बाई को विकय किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज अथवा उसकी छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की गई ।

(3) आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर फाईल निरीक्षण करने हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु फाईल उपलब्ध नहीं करायी गई है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अलग–अलग व्यकितयों से भूमि कय की गई है तथा निवास स्थान भी अलग–अलग है, अतः दो व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एक अपील विचारणीय नहीं थी, इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(5) अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील समय बाह्य प्रस्तुत की गई थी, अतः अवधि बाह्य अपील को ग्राह्य किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपील ग्राह्य कर गुण–दोष पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(6) अनावेदक कमांक 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया था, ऐसी स्थिति में उन्हें एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने की कार्यवाही करना चाहिए थी, जो नहीं की गई है ।

(7) आवेदक कमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र की चर्तुसीमा व अनावेदक कमांक 3 द्वारा तैयार कराये गये फर्जी विकय पत्र की चर्तुसीमाओं में अन्तर है, इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(8) मूल भूमिस्वामी गोविन्द सिंह द्वारा बैंक आफ बड़ौदा से ऋण लिया गया था, जिसका भुगतान आवेदकगण द्वारा किया गया है, इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया ।

(9) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–6/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 1–1–2001 से आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर किये जाने का आदेश दिया गया था, परन्तु पटवारी द्वारा मनमानी कार्यवाही कर अनावेदक कमांक 3 का नाम दर्ज कर दिया गया है । इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर 1967 एस.सी. 1269, 1976 जे.एल.जे. 18, 1994 आर.एन. 322, 1996 आर.एन. 37 एवं 1998 आर.एन. 143 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 व 2 के पूर्व हितधारी अनावेदिका कमांक 3 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का विकय पत्र दिनांक 26–5–1997 को निष्पादित किया जा चुका है, और आवेदकगण के पक्ष में विकय दिनांक 27–5–98 को निष्पादित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का विकय करने के पश्चात विकेता को कोई अधिकार प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं रह जाता है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 व 2 का नाम दर्ज है, इसके बावजूद भी उन्हें बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष बिना किसी आधार के निकाला गया है कि अनावेदिका कमांक 3 का नाम राजस्व अभिलेखों में मनमाने ढंग से अंकित किया गया है, जबकि अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर पारित आदेश को आवेदकगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए अब यह आधार नहीं उठाया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में वर्ष 2001 में हुए नामान्तरण को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाला गया है, जबकि उक्त आदेश निगरानी में निरस्त हो चुका था । इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम दर्ज हो गया था, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर